BUILDING BUILT-UP & CARPET AREA CERTIFICATE

Ref- BDM/04 Date:17/02/2025

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने, अधोहस्ताक्षरी, विद्यालय BDM International School, पाण्डेयपुर, सुरौली, जनपद सुलतानपुर (उ.प्र.)228119 की भवन संरचना का स्थल निरीक्षण एवं अभिलेखों का परीक्षण किया है।निरीक्षण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर भवन के क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है:

1. Plot Area (कुल भूमि क्षेत्रफल): 6800 वर्ग मीटर

2. Built-up Area (निर्मित क्षेत्रफल - Floor-wise):

- Ground Floor: 985 वर्ग मीटर
- First Floor: 985 वर्ग मीटर
- Second Floor: _x__ वर्ग मीटर
- Other (यदि कोई हो): _x__ वर्ग मीटर

Total Built-up Area: 1970 वर्ग मीटर

3. Carpet Area (आंतरिक उपयोग योग्य क्षेत्रफल): 1970 वर्ग मीटर

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण स्थल निरीक्षण एवं स्वीकृत भवन नक्शे (Approved Building Plan) के आधार पर सही एवं सत्य है।

दिनांक: 17/02/2026

हस्ताक्षर: 17.2.2025.

पद: Licensed Architect / Chartered Engineer

Ar. Maneesh Kumar
M. Tech. (Structure)
B. Arch (I.I.T.Roorkee)
CA/2007/41109

कार्यालय जिला पंचायत सुलतानपुर।

अनुज्ञा–पत्र/स्वीकृति

पत्रांकः 3422 /जि0पं0सु0/मा0अनु0/2026-27 दिनांकः 23/02/2026

श्री बंशीधर मिश्रा,
सुत श्री चन्द्रशे,खर मिश्रा,
प्रबन्धक, बी0डी0एम0 इन्टर नेशनल स्कूल,
ग्राम–पाण्डेयपुर सुरौली, पो0–बड़ेगाव़
जनपद–सुलतानपुर।

विषयः–स्कूल निर्माण के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक ग्राम पाण्डेयपुर सुरौली विकास क्षेत्र जयसिहपुर, तहसील जयसिहपुर, जनपद सुलतानपुर की आराजी संख्या 1429,1430 में स्कूल निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो कि जिला पंचायत सुलतानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, पर जिला पंचायत सुलतानपुर की उपविधि संख्या–खण्ड 74/सं0 36/भाग–3 दिनांक 12.09.2020 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार निम्न शर्तो के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जाती हैः–

1. अनुज्ञा–पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी, तथा निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग या ठेकेदार द्वारा मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृति होने के बावजूद उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेन्स/अनापत्ति लेना आवश्यक है, अनुमति प्राप्ति का उत्तर दायित्व आवदेक का होगा।
3. प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्रित /अतिक्रमण न किया जाय।
4. जलमल की निकासी मुख्य/अन्य मार्ग पर न की जाय तथा सिवरेज/नाली का निस्तारण भवन स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाय।
5. मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स के नियम 07 यथावत लागू रहेगे।
6. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भवन निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरिया 1970 वर्गमीटर में तथा ग्राम पाण्डेयपुर सुरौली की आराजी संख्या 1429,1430 में ही कराया जायेगा।
7. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक ही होगी।
8. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि 03 वर्ष के पश्चात कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत सुलतानपुर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
9. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र में बिना किसी पूर्व सूचना के मानचित्र/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नही किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मानचित्र में प्रस्तावित है तो जिला पंचायत सुलतानपुर से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नही माना जायेगा।
11. प्रतिबन्ध रहेगा कि कम से कम 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर 02 पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।

PTO

12. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिग कोड के स्ट्रक्चरल प्रावधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्नि समन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्रावधान (यदि अनिवार्य है) को स्थानीय मुख्य अग्नि समन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
13. भूखण्ड स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
14. प्रतिबन्ध रहेगा कि समय–समय पर शासन द्वारा उक्त विषयक निर्गत शासनादेश स्वतः प्रभावी होगें।
15. रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत सुलतानपुर उत्तरदायी नही होगा।
17. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्रावधानो के सुरक्षा मानको के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा।

अभियन्ता
जिला पंचायत सुलतानपुर।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सुलतानपुर।

पृष्ठाकंन संख्याः 3422 /जि0पं0सु0/मा0अनु0/ 2026-27 तद्दिनाकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासक महोदय, जिला पंचायत सुलतानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सुलतानपुर।
3. अभियन्ता, जिला पंचायत सुलतानपुर को परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
4. अवर अभियन्ता, जिला पंचायत सुलतानपुर विकास खण्ड जयसिहपुर को इस आशय से कि उक्त स्वीकृति पत्र के सापेक्ष ही कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सुलतानपुर।

ST

मुख्य विकास अधिकारी
सुलतानपुर
2/9/2-2026